

5

प्रस्तावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) में संशोधन के उपरांत बढी हुयी एनपीवी की धनराशि के भुगतान की बचनबद्धता।

मै महेश चन्द्र वर्मा, प्रबन्धक (तकनीकी) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) का प्रतिनिधि बचन देता हूँ, कि प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V.) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक F.No. - 5-3/2007-F.C. दिनांक 05.02.2009 द्वारा इको क्लास-(iii) में हरियाली धनत्व के अनुसार निर्धारित एनपीवी रू० रू० 8.03 लाख प्रति हें० की दर से रू० 8.03 लाख x 131.0175 हें० = रू० 10,52,07,052.50 या 10,52,07,053.00 (दस करोड़, वावन लाख, सात हजार, तिरपन रू० मात्र) का भुगतान जब भी वन विभाग कहेगा, बैंक ड्राफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान कर दूंगा।

यदि N.P.V. की धनराशि में उक्त अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

प्रो. ए. ए. ए. / क. ए. ए.

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

प्रबन्धक (तकनीकी)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)